

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/66162/KPD/KANPUR DEHAT/959/CFO

दिनांक: 10-11-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MOUNTAIN VIEW CITY PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **68,67 AKBARPUR ETAWAH KANPUR HIGHWAY, KANPUR TO ETAWAH ROAD, AKBAPUR** तहसील - **AKBARPUR**, प्लॉट एरिया **6144.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3045.2** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	4	0	14.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MOUNTAIN VIEW CITY PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **12-11-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **DINESH GUPTA 9956790774** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **20-11-2022** से **19-11-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **MOUNTAIN VIEW CITY PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **MOUNTAIN VIEW CITY PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : प्रत्येक तल पर लैण्डिंग वाल्व हौज पाइप के सहित स्थापित है। अपलोडेड मानचित्रों व मौके पर मानकों के अनुरूप सेटबैक उपलब्ध नहीं है। लो राइज भवनों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या: 187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टीसी दिनांकित: 07.01.2022 में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप एनबीसी-2016 में दी गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में संशोधन के अनुसार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सुझाव के अनुसार सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा। प्रत्येक छमाही में स्थानीय अग्निशमन विभाग के पर्यवेक्षण में मॉकड्रिल कराया जाना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SURENDRA SINGH)

[041A8DE109A632B387D1468FA2E0C7F2A188FEFB]

20-11-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-11-2022
स्थान : KANPUR DEHAT